


Now
um (HS)
M(P)/M(C)/(M(V))
Guesst h/c




मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 5/07/2022

क्र. एफ 16-47/2022/ए-ग्यारह :राज्य शासन एतद् द्वारा निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना के लाभ हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह, दिनांक 13/10/2017 एवं आदेश क्रमांक एफ 16-18/2017/बी-ग्यारह, दिनांक 17/01/2018 के प्रावधानों में योजना की प्रभावशीलता अवधि 01/04/2018 से 31/03/2022 तक को संशोधित करते हुये दिनांक 01/04/2018 से नवीन नीति के अधिसूचित होने के दिनांक तक किये जाने हेतु निर्णय लिया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
भोपाल, दिनांक 5/07/2022

पृ. क्र. एफ 16-47/2022/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग